प्रेस विज्ञप्ति

डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश

विषम सेमेस्टर 2015–16 के मूल्यांकन केन्द्रों पर उचित व्यवस्थाओं के परिपालन हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 विनय कुमार पाठक द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये हैं–

1. मूल्यांकन केन्द्र पर उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रश्नपत्रों के सोल्यूशन्स एवं संशोधन (यदि कोई हो) तथा अन्य कोई अपेक्षित निर्देश पर विश्वविद्यालय से स्वीकृति/सहमति प्राप्ति कर ली जाय, जिससे कि सभी मूल्यांकन केन्दों पर विषयगत एकरूपता बनी रहे।
2. मूल्यांकन की गुणवत्ता को बनाये रखने के दृष्टिगत आप सबसे यह अपेक्षा है कि आपके केन्द्र पर कार्यरत/सम्बद्ध परीक्षक के पास कम से कम तीन वर्ष का विषयगत अनुभव अवश्य हो, साथ ही यदि कोई शिक्षक परास्तानक/पी0एच0डी0 उपाधि धारक है तो उसके एक वर्ष के शैक्षणिक अनुभव को परीक्षक के कार्य हेतु अनुभव सीमा के समतुल्य माना जाय। इसके इतर विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य को परीक्षक नामित न किया जाय, विशेष परिस्थितियों में परीक्षक नियुक्त करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाय कि परीक्षक ने सम्बन्धित विषय का अध्यापन कार्य अवश्य किया हो एवं इसका अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर लिया जाए।
3. प्रधान परीक्षक से यह भी अपेक्षा है कि प्रत्येक परीक्षक को प्रतिदिन अधिकतम 80 (अस्सी मात्र) उत्तरपुस्तिकाएं ही मूल्यांकन हेतु उपलब्ध करायी जाय। इसके साथ ही यह भी अनुरोध है कि पूरे मूल्यांकन अवधि में प्रथम वर्ष की अधिकतम् 1000 (एक हजार मात्र) एवं अन्य वर्षो की 640 (छः सौ चालीस मात्र) उत्तरपुस्तिकाएं ही एक परीक्षक से मूल्यांकित करायी जाय। इसके इतर आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय की अनुमति अनिवार्य होगी।
4. स्थापित व्यवस्था के अनुसार प्रधान परीक्षक कम से कम 10 प्रतिशत मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन करता है जिसमे विशेषरूप से यह अपेक्षित है कि वह 40 (चालीस मात्र) उत्तरपुस्तिकाओं के प्रत्येक पैकेट में कम से कम एक अधिकतम् प्राप्तांक वाली तथा एक न्यूनतम् प्राप्तांक वाली उत्तरपुस्तिका का पुनः मूल्यांकन अनिवार्य रूप से अवश्य करें।
5. प्रधान परीक्षक द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाने वाली अपनी रिपोर्ट में यह अवश्य उल्लेखित किया जाय कि समस्त उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन, पूछे गये प्रश्नों के सन्दर्भ में सम्बन्धित/वांछित विषयगत समुचित उत्तर, हस्तलिपि एवं व्याकरण के आलोक में किया गया है।
8. विश्वविद्यालय स्तर पर यह भी निर्णय लिया गया है कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके प्रतिनिधि की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय द्वारा नामित परीक्षको/विषय विशेषज्ञों द्वारा रैण्डम् सैम्पलिंग से माध्यम से कुछ उत्तरपुस्किाओं को विश्वविद्यालय स्तर पर पुनः मूल्यांकित कराया जाएगा। जिसमें विश्वविद्यालय के प्रावधानों/परीक्षा संबंधित नियमों के अन्तर्गत यदि कोई अनियमियतता पायी जाती है तो सम्बन्धितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आशीष मिश्र
मीडिया इंचार्ज
दिनांक – 26, दिसम्बर, 2015